न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 177/2019

1. मॉगीलाल आयु 47 साल आ0 धन्नालाल जाति खटीक निवासी अरनेठा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0

—— वादी

बनाम

1. धन्नालाल आयु 60 साल आ0 नाथ्या जाति खटीक निवासी अरनेठा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन

—— प्रतिवादीगण

वादः— अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित :—

1— वादी की ओर सें श्री चन्द्रप्रकाश नागर एडवोकेट
2— प्रतिवादी की और सें श्री महावीर प्रसाद बागडी एडवोकेट

—::निर्णय::— दिनांकः 17.12.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 09.12.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि का पेश किया गया।
2. वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 249 पुराना 228 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1110 रकबा 0.52 है0, खसरा संख्या 1196 रकबा 0.24 है0, खसरा संख्या 2856/1193 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम व माल अरनेठा पटवार हल्का अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 मे स्थित है एवं खाता संख्या नया 785 पुराना 701 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1187 रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम व माल अरनेठा पटवार हल्का अरनेठा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 में स्थित है। मूल पुरूष नाथ्या है नाथ्या का पुत्र धन्नालाल व धन्नालाल का पुत्र वादी मॉगीलाल है। वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पुरखो सें पीढ़ी दर पीढी चली आ रही है तथा सम्पूर्ण भूमि पुश्तैनी भूमि है जिसमें वादी 1/2 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी पृथक सें निवास कर रहा है स्वयं तथा अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिये अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली कृषि भूमि का हिस्सा प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्ज होने सें उक्त भूमि को रहन, बय व अन्यत्र हस्तानान्तरण करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को विधिवत रूप से 1/2–1/2 हिस्से का पृथक–पृथक बंटवारा दर्ज किया जावे।

3. वादी को वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 नें वादी के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की और सें दिनांक 12.12.2019 को राजीनामा पेश किया गया।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दि0 12.12.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–::निर्णय::–

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 785 पुराना 701 के खसरा संख्या 1187 रकबा 1.18 है0, वाके ग्राम व माल अरनेठा पटवार हल्का अरनेठा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 वादी मॉगीलाल आ0 धन्नालाल जाति खटीक निवासी अरनेठा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से व कब्जे में रहेगी। खाता संख्या नया 249 पुराना 228 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1110 रकबा 0.52 है0, खसरा संख्या 1196 रकबा 0.24 है0, खसरा संख्या 2856/1193 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम व माल अरनेठा पटवार हल्का अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 प्रतिवादी संख्या 1 धन्नालाल आ0 नाथ्या जाति खटीक निवासी अरनेठा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से व कब्जे में रहेगी एवं बैंक व सहकारी रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

17/12/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

मॉगीलाल v/s धन्नालाल वगै0

वादः– अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 177/2019

वादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री महावीर प्रसाद बागडी की उपस्थिति में आज दिनांक 17.12.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

''वादी का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या नया 785 पुराना 701 के खसरा संख्या 1187 रकबा 1.18 है0, वाके ग्राम व माल अरनेठा पटवार हल्का अरनेठा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 वादी मॉगीलाल आ0 धन्नालाल जाति खटीक निवासी अरनेठा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से व कब्जे में रहेगी। खाता संख्या नया 249 पुराना 228 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1110 रकबा 0.52 है0, खसरा संख्या 1196 रकबा 0.24 है0, खसरा संख्या 2856/1193 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम व माल अरनेठा पटवार हल्का अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 प्रतिवादी संख्या 1 धन्नालाल आ0 नाथ्या जाति खटीक निवासी अरनेठा तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 के हिस्से व कब्जे में रहेगी एवं बैंक व सहकारी रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।''

नीज .... ग .... मुबलिक ....ग .... बाबत ....ग .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... ग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 17.12.2019 को जारी की गई।

(मोहर) उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner